रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 20, 2001/चैत्र 30, 1923
No. 183] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 20, 2001/CHAITRA 30, 1923

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2001

सं. 16-सीमाशुल्क (एन. टी.)

सा.का.नि. 266(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1995 के नियम 4 और नियम 5 के साथ पठित नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 41/2000 सीमाशुल्क (एन. टी.) तारीख 1 जून, 2000 में 1 मार्च, 2001 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में—

(क) स्तंभ 3 में की प्रविष्टि में, क्रम सं./उप-क्रम सं. 62.01, 62.08, 62.13, 62.15, 62.16, 62.17, 62.18, 62.19 और 62.20 में प्रत्येक के सामने "जब केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया है" शब्द अन्त में जोड़े जाएंगे;

(ख) क्रम सं./उप-क्रम सं. 62.01 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"62.011		सभी प्रकार के सिले-सिलाए वस्त्र जो पूर्णतया या मुख्यतया व्युतित फैब्रिक से बने हैं (रेशम, ऊन, नायलोन के बने सिले-सिलाए वस्त्र और शौडी फाइबर/सूत/फैब्रिक से बनाए गए सिले-सिलाए वस्त्रों को छोड़कर): शुल्क छूट स्कीम के अधीन तारीख 1-4-95 से पूर्व जारी मात्रा आधारित अग्रिम अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत चाहे निर्यात किया गया हो अथवा नहीं और निर्यातकर्ता को	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 6.5% (केवल साढ़े छह प्रतिशत) जो कि अधिकतम 25.60 रु. (केवल पच्चीस रु. साठ पैसे) प्रति नग के अधीन रहते हुए है।	सम्पूर्ण सीमाशुल्क";	

1	2	3	4	5	6
		निम्नलिखित में से एक या किसी के आयात की अनुज्ञा दी गई हो (i) टैग (ii) लेबल (iii) छपे टेग्स और स्टीकर्स और ऐसी कोई अन्य शुल्क मुक्त मद न हो जो सिले-सिलाए वस्त्र के विनिर्माण में प्रयुक्त न हो जब केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर की सुविधा का लाभ न उठाया गया हो।			

(ग) क्रम सं./उप-क्रम सं. 62.08 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"62.081		शौडी फाइबर/सूत/फैब्रिक से तैयार किए गए सिले-सिलाए वस्त्र की दशा में जब केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर की सुविधा का लाभ उठाया गया हो।	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 2.5% (केवल ढ़ाई प्रतिशत) अधिकतम 9 रु. (केवल नौ रु.) के अधीन रहते हुए है।	सम्पूर्ण सीमाशुल्क";	

(घ) क्रम संख्यांक/उप-क्रम संख्यांक 62.15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"62.151		अठारह बी. डब्ल्यू. एस. सूत्रांक से अधिक वस्टर्ड ऊनी सूती वाले बने हुए फैब्रिकों से निर्मित अन्य ऊनी शालें/कशीदाकारी वाली शालें (जिसमें "30 × 30" से अनधिक आकार वाली रूमालें भी हैं) चाहे लपेटन और बाने से सूत/कशीदाकारी के लिए जरी किसी भी प्रकृति की हो जब केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर की सुविधा का लाभ उठाया गया है।	22.55 रु. (केवल बाइस रुपए पचपन पैसे) आधारिक फैब्रिक्स के वस्टर्ड ऊनी सूत की अन्तर्वस्तु के प्रति किलो ग्रा. पर।	सम्पूर्ण सीमाशुल्क";	

(ङ) क्रम संख्यांक/उप-क्रम संख्यांक 62.16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"62.161		अठारह बी. डब्ल्यू. एस. सूत्रांक से अधिक वस्टर्ड ऊनी सूती वाले बने हुए फैब्रिकों से निर्मित अन्य ऊनी शालें/कशीदाकारी वाली शालें (जिसमें "30 × 30" से अनधिक आकार वाली रूमालें भी हैं) चाहे लपेटन और बाने से सूत/कशीदाकारी के लिए जरी किसी भी प्रकृति की हो, यदि रंगाई की हो, अब केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर की सुविधा का लाभ उठाया गया हो।	22.40 रु. (केवल बाइस रुपए चालीस पैसे) आधार फैब्रिक्स के वस्टर्ड ऊनी सूत की अन्तर्वस्तु के प्रति किलो ग्राम पर।	सम्पूर्ण सीमाशुल्क";	

(च) क्रम संख्यांक/उप-क्रम संख्यांक 62.17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"62.171		केवल 18 बी. डब्ल्यू. एस. सूत्रांक से अधिक ऊनी वस्टर्ड सूत (वजन के आधार पर) से व्यूतित	18 बी. डब्ल्यू. एस. सूत्रांक से अधिक ऊनी के वस्टर्ड का 20.75 रु.	सम्पूर्ण सीमाशुल्क";	

1	2	3	4	5	6
		फैब्रिकों से निर्मित सभी अन्य ऊनी शालें (30" × 30" से अनधिक आकार वाली जामवार शालों और रूमालों सहित) जब केंद्रीय मूल्य वर्धित कर की सुविधा का लाभ उठाया गया हो।	(केवल बीस रु. पचहत्तर पैसे) प्रति किलो ग्रा. पर।		

(छ) क्रम संख्यांक/उप क्रम संख्यांक 62.18 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"62.181		केवल 18 बी. डब्ल्यू. एस. सूत्रांक से अधिक ऊनी वस्टर्ड सूत (वजन के आधार पर) से ब्यूतित फैब्रिकों से निर्मित सभी अन्य ऊनी शालें (30" × 30" से अनधिक आकार वाली जामवार शालों और रूमालों सहित) यदि रंगाई की हो, जब केंद्रीय मूल्य वर्धित कर की सुविधा का लाभ उठाया गया हो।	18 बी. डब्ल्यू. एस. सूत्रांक से अधिक के ऊनी वस्टर्ड अंतर्वस्तु का 20.70 रु. (केवल बीस रु. सत्तर पैसे) प्रति किलो ग्रा. पर।	सम्पूर्ण सीमाशुल्क";	

(ज) क्रम संख्यांक/उप क्रम संख्यांक 62.19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"62.191		बलेंडिड शालें (13" × 13" से अनधिक आकारों वाली शालों और रूमालों सहित) जिनमें ऊन/एक्रिलिक/नाइलोन/पोलिस्टर फाइबर/विस्कोस फाइबर है और जो मोहेयर अंगोरा, आदि जैसे अन्य प्राकृतिक फाइबर के सहित या रहित है यदि रंगाई की गई हो, जब केंद्रीय मूल्य वर्धित कर की सुविधा का लाभ उठाया गया हो।	ऊन अंतर्वस्तु का 22.55 रु. (केवल बाईस रुपए पचपन पैसे) प्रति किलो ग्रा. पर।	सम्पूर्ण सीमाशुल्क";	

(झ) क्रम संख्यांक/उप क्रम संख्यांक 62.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"62.201		बलेंडिड शालें (13" × 13" से अनधिक आकारों वाली शालें और रूमालों सहित) जिनमें ऊन/एक्रिलिक/नाइलोन/पोलिस्टर फाइबर/विस्कोस फाइबर है और जो मोहेयर अंगोरा, आदि जैसे अन्य प्राकृतिक फाइबर के सहित या रहित है यदि रंगाई की हो, जब केंद्रीय मूल्य वर्धित कर की सुविधा का लाभ उठाया गया हो।	ऊन अंतर्वस्तु का 20.85 रु. (केवल बीस रुपए पचासी पैसे) प्रति किलो ग्रा. पर।	सम्पूर्ण सीमाशुल्क";	

[फा. सं. 609/46/2001-डीबीके]

एन. के. सिन्हा, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा. का. नि. 514 (अ) तारीख 1 जून, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2001

No. 16/2001-Customs (N.T.)

G.S.R. 266 (E).— In exercise of the powers conferred by rule 3, read with rule 4 and rule 5, of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1995, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No.41/2000-Customs(N.T) dated 1ST June, 2000, with effect from 1st March, 2001, namely:-

In the Table annexed to the said notification –

(a) in the entry in column 3, against each of Serial/Sub-Serial Nos. **62.01, 62.08, 62.13, 62.15, 62.16, 62.17, 62.18, 62.19 and 62.20, the words "when CENVAT facility has not been availed"** shall be added at the end;

(b) after Serial/Sub-serial No.62.01 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely.-

1.	2.	3.	4.	5.	6
"62.011		Readymade garments, all sorts made wholly or mainly of woven fabrics (excluding readymade garments made of silk, wool, nylon and readymade garments made of shoddy fibre/yarn/fabric) whether or not exported against Quantity Based Advance Licence issued prior to 1.4.95 under the Duty Exemption Scheme and the exporter is permitted to import one or any of the following (i) tags (ii) labels (iii) printed tags and stickers and not any other item duty free for use in manufacture of the readymade garments, **when CENVAT facility has been availed.**	6.5%(six point five per cent only) of the f.o.b. value subject to a maximum of Rs.25 60 (Rs. twenty-five and paise sixty only) per piece.	All Customs":

(c) after Serial/Sub-serial No.62.08 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-